

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बहराइच / ज्योतिबाफूलेनगर / बलरामपुर / बिजनौर / गोण्डा / मुजफ्फर नगर / उन्नाव
/ मऊ / बाराबंकी / कन्नौज / रामपुर / कुशीनगर।

लखनऊ : दिनांक : 4 मई, 2012

राजस्व अनुभाग-10

विषय : वर्ष 2011 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011-12 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना हेतु 20 लाख तक के प्रस्तावों / परियोजनाओं के संबंध में मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू० 29,76,74,121/- (रूपये उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार एक सौ इक्कीस मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	जनपद का नाम	जिलाधिकारी का सन्दर्भ / पत्रांक	परियोजना की स्वीकृति / मांगी मई कुल धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	बहराइच	1719 / आपदा-तेरह-बाढ़ / 11 दिनांक 29.03.2012	66665000	33332500
2.	ज्योतिबाफूले नगर	1791 / दै०आ०सहा० / 2012 दिनांक 10.04.2012	33640000	16820000
3.	बलरामपुर	2038 / सी०आर०ए०(दै०आ०-क्षति० परि०मर०-धना०) / 2012 दिनांक 09.04.2012	22054000	11027000
		2039 / सी०आर०ए०(दै०आ०-क्षति० परि०मर०-धना०) / 2012 दिनांक 09.04.2012	48325000	24162500
4.	बिजनौर	651 / तीन-सी०आर०ए०(आपदा)-1 1 दिनांक 21.03.2012	1711000	855500
		473 / तीन-सी०आर०ए०(आपदा)-1 1 दिनांक 12.01.2012	1416000	708000
5.	गोण्डा	357 / दैवीआपदा / अवस्थापना / 201 2 दिनांक 02.02.2012	201702000	100851000

	मुजफ्फर नगर	750 / तेरह-मिस / 06-09 / बाढ़-प्रस्ताव दिनांक 29.12.2011	42472000	21236000
	उन्नाव	516 / सी0आर0ए0-5 / स0परि0ध ना0(2011-12) दिनांक 25.02.2012	68664000	34332000
8.	मऊ	654 / आपदा-मऊ / 11 दिनांक 22.02.2012	11550843	5775421
9.	बाराबंकी	3406 / राहत सहा0 दिनांक 21.03.2012	1353400	676700
		3422 / राहत लि0 दिनांक 28.03.2012 (राहत शिविर के निर्माण के संबंध में)	163000	81500
10.	कन्नौज	1020 / सी0आर0ए0 / 10-11 दिनांक 22.12.201	23053000	11526500
11.	रामपुर	मंडलायुक्त मुरादाबाद का पत्र सं0 1194 / 13-01(2011-12) जे0ए0 दिनांक 07.04.2012 तथा संलग्न मुख्य अभियंता (पूर्व गंगा, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 मुरादाबाद का पत्र 5155 / मुअपूर्0 / आपदा राहत दिनांक 21.04.2012	7076000	3538000
12.	कुशीनगर	282 / आपदा-2012-13 दिनांक 25.04.2012	65503000	32751500
	महायोग		59,53,48,243	29,76,74,121

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष 2011 में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना / मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78 / पी0एस0आर0 / 2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या- 32-7 / 2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत

सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशियां केवल उन्ही सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनःनिर्माण पर व्यय की जायेगी जो कि 16 जनवरी, 2012 से पूर्व वर्ष 2011 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है और जिनके बारे में Project Sanction की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

5. वर्ष 2011-12 की बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 1256 / 1-10-2012-33(62) / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
21/10/12
(राजेन्द्र प्रसाद)
अनुसचिव।